कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3(स्कूल/बी)/2018 दिनांकः नवम्बर, 02, 2018

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
तुलसी विद्या निकेतन,
नगवा लंका, थाना लंका,
जनपद–वाराणसी।

विषयः– विद्यालय भवन तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद–वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण कर अग्नि सुरक्षा पत्र के संबंध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांकः शून्य, दिनांकः 28.10.2018

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुसार तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद–वाराणसी भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

A.भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः– भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रुप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1–प्रबन्धक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के अनुसार उक्त विद्यालय भवन भूतल व दो अन्य तल का निर्मित है तथा भवन की ऊँचाई लगभग 10.50 मीटर है।

2–पहुँच मार्गः–उक्त स्थल तक अग्निशमन के वाहन पहुँचकर अग्निशमन कार्य कर सकते हैं।

3–प्रवेश द्वार की चौड़ाई–उक्त भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई लगभग 4.50 मीटर है।

4–निकास मार्गः–उक्त भवन में तीन स्टेयर निर्मित है।

B.अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–भवन में निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध पायी गयीः–

1–होजरीलः–:–उक्त भवन में डाउनकमर का प्राविधान कर भवन के प्रत्येक तल पर लैण्डिंग वाल्व के पास होज बाक्स में होज पाईप व साधारण ब्रांच तथा होजरील स्थापित किया गया है।

2–टैरेस टैंकः–उक्त भवन के टैरेस पर लगभग 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक उपलब्ध है।

3–टैरेस पम्पः–उक्त भवन के टेरेस टैंक के पास एक अदद टैरेस पम्प उपलब्ध है।

4–भवन में मैनुअल काल प्वाइंट उपलब्ध है।

5–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 15 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है।

6–पब्लिक एनाउन्समेन्ट सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में की गई है।

C.माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रुप से निर्देशित है किः–

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरुप है।
2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय के भवन में ज्वलनशील एवं जहरीलें पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अति आवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानको के अनुरुप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जॉच के उपरान्त ही प्रदान करेगें। नियमों के विरुद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते है तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरुद्ध अनुसाशनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

.... 2....... पर

CFO VNS

Secretary
Sri Goswami Tulsi Das
Educational Society
VARANASI

PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN
NAGWA VARANASI

5. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।

D.उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या:1528/9–6–2008 दिनांकः 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
2. फायर सर्विस मुख्यालय,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एस0–1076/2012 दिनांकः 5, अक्टूबर, 2012 का पालन अनिवार्य होगा।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।
4. उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी /प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।

अतः उपरोक्तानुसार तुलसी विद्या निकेतन, नगवा लंका, थाना लंका जनपद–वाराणसी उक्त विद्यालय भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने व एन0बी0सी0 मानकों को सदैव पूर्ण करने एवं अग्निशमन व्यवस्था का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर मात्र अग्निशमन व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा पत्र निर्गत किया जाता है। जो निर्गत तिथि से तीन वर्ष तक के लिए वैध होगा।

उपरोक्त किसी भी अग्निशमन व्यवस्था के अकार्यशील होने पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

02 NOV 2018

(राकेश राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
वाराणसी

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Secretary
Sri Goswami Tulsi Das
Educational Society
VARANASI

PRINCIPAL
TULSI VIDYA NIKETAN
NAGWA VARANASI